राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
27 / 2016 / वाद पत्र	04.03.2016	07.06.2017

डनवान

1-4 पुष्पा,जमना,कमला,मनभर पुत्रियान रामनारायण खाती नि0 बलाण्ड तह0 शाहपुरा

– वादियागण

बनाम

1– रामप्यारी पत्नि स्व0 रामनारायण खाती नि0 बलाण्ड तह0 शाहपुरा
2– भंवरलाल पुत्र स्व0 रामनारायण खाती नि0 बलाण्ड तह0 शाहपुरा
3– भंवरी पत्नि भूरालाल खाती नि0 बलाण्ड तह0 शाहपुरा
4– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188–53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री दुर्गालाल राजोरा : अधिवक्ता वादियागण

निर्णय

वादियागणों ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188–53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादियागण एवं प्रतिवादी 1 व 2 की संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात वाके ग्राम बलाण्ड तहसील शाहपुरा मे स्थित है। जिसके आ0न0 202, 206, 207, 214, 215, 623 व 1677 कुल किता 7 रकबा 3.02 है0 है जो राजस्व रेकार्ड मे बराबर 1/6 – 1/6 हक हिस्सा निहित है किन्तु मौके पर विभाजन नही हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जो माता व पुत्र है ने वादीगणों को उनके कृषि भूमि से वंचित करने के उदे्श्य से प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती भंवरी को श्री भूरालाल खाती प्रतिवादी नं0 2 की पत्नि बताते हुए ग्राम बलाण्ड मे निवास बताकर एक गिफ्ट डीड दिनांक 24.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे पंजीयन करा दिया। जिसमे आ0न0 202, 215 व 1677 करवाया गया। जबकि वादीगणों के अलावा अन्य कोई वारिस नही होने से गिफ्ट डीड कराने का कोई अधिकार नही था। इस प्रकार तथाकथित गिफ्ट डीड शून्य होकर वादीगणों के मुकाबले बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादीगण के साथ कोई रक्त संबंध नही है। अतः वादग्रस्त भूमि मे अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी अतः स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगणों को रोका जावे व भूमि का विभाजन 1/6 हिस्से के अनुसार करवाया जावे। उक्त विवाद दिनांक 24.02.2016 से निरन्तर उत्पन्न है। प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे गिफ्ट डीड के अमल को रोका जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 केम्प अटल सेवा मेन्द्र डाबला चान्दा पर तलब किया गया। दिनांक 09.11.2016 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना सम्मन तामील व आवाजे दिलाई जाने के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 07.06.2017 को साक्ष्य के रूप मे वादिया पुष्पा खाती का शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रस्तुत किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम बलाण्ड की वादग्रस्त आराजीयात जो पुस्तैनी होकर स्व0 रामनारायण की होना राजस्व रेकार्ड से जाहिर आया है। विरासत से 4 पुत्रिया जो वादीगण व स्व0 रामनारायण की बेवा रामप्यारी तथा पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज होकर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है किन्तु प्रतिवादी 3 के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 24.02.2016 को गिफ्ट डीड किया जो विधिविरूद्व है क्योकि न तो खातेदारो के मध्य कोई रक्त संबंध प्रतीत नही होते है साथ ही बिना विभाजित भूमि का आराजीयात विशेष का गिफ्ट डीड नही हो सकता है क्योकि समस्त आराजीयात मे प्रत्ये खसरे मे सभी खातेदारान का बराबर बराबर हिस्सा होता है। राजस्व रेकार्ड मे दर्ज खातेदारान द्वारा आ0न0 184 व 185 का विक्रय धनराज पिता गोपाल गुर्जर को किया गया जिसका अमल जरिये नामान्तरकण संख्या 523 दिनांक 28.07.2014 से हो चुका है। इस प्रकार यह सिद्व है कि विक्रय की गई भूमि सभी खातेदारान जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से बेची है। जबकि आ0न0 202, 215 व 1677 का जो गिफ्ट डीड हुआ है जिसकी जानकारी वादियागण हो नही है। जबकि उक्त आराजीयात मे इनका भी हिस्सा था। गिफ्ट डीड का राजस्व रेकार्ड मे अमल होने की जानकारी रेकार्ड पर प्राप्त नही हुई है। अतः वाद पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे अंकित आराजीयात कुल किता 7 रकबा 3.02 है0 मे 1/6 – 1/6 का विभाजन कराने के वादीगण हकदार है। अत5 उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188–53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम बलाण्ड प0म0 बलाण्ड तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 307 आ0न0 202, 206, 207, 214, 215, 623 व 1677 कुल किता 7 रकबा 3.02 है0 मे वादीगण प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हक हिस्सा यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र डाबला चान्दा मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खोड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार-2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

इजलास श्री के० आर० [illegible] RAS

[illegible] बनाम श्री [illegible]

[illegible] — वादीगण

[illegible] — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, RTA

मुकदमा नम्बर 27 सन् 16 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व 4 मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादीगण [illegible] ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा के [illegible] 307 खसरा नं० 202, 206, 207, 214, 215, 623 व 1677 कुल किता 7 रकबा 3.02 है० में वादीगण प्रत्येक 1/6 का हिस्सा [illegible] राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज व [illegible] तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते हैं। प्रतिवादी [illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सुलयाबी तक अदा करें ।

[illegible] दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 6 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)